संख्या– 92 /आपदा प्रबन्धन/2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

आपदा प्रबनधन एवं पुनर्वास विभाग देहरादूनः दिनांक 19 फरवरी, 2004

विषयः– वर्ष 2003–04 में लेखा शीर्षक 2245 के अंतर्गत अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त रामगंगा नदी पर मरचूला–बलूनी मार्ग में झूलापुल के मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–77/आ.प्र./2003 दिनांक 26.3.2003 के क्रम में आपके प.सं.– 7795/तेरह–14(2002–03) दिनांक 30 सितम्बर, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामगंगा नदी पर मरचूला–बलूली मार्ग में झूला पुल के मरम्मत हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 101.67 लाख के आगणन के विपरीत तकनीकी परिक्षणोंपरान्त रू0 100.04 लाख के सापेक्ष रू0 50.84 लाख पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, और अब अवशेष रू0 49,20,000/– (रू0 उन्चास लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:–

2– स्वीकृति धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि जिन कार्यो/जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गयी है, उन्ही कार्यो एवं प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी। धनराशि का गलत उपयोग न किया जाय और मद परिवर्तन करने का अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरणानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु मदवार/कार्यवार व्यय की जायेगी।

3– उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने के एक माह के भीतर शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि 31.3.2004 तक स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो समस्त अवशेष धनराशि राजकोष में समर्पित कर दी जायेगी।

4– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर/कुटेशन तथा मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होंगे। कार्य की समयबद्धता हेतु संबन्धित निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध कर उस पर पैनाल्टी कलाज भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है।

6– शासनादेश संख्या 77/आ.प्र./2003 दिनांक 26.3.2003 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

7– स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या– 372(5)/आ0प्र0/2003 दिनांक 20.9.2003 के द्वारा किये गये जनपदवार एलोकेशन द्वारा मात्राकृत रू0 2.00 करोड़ की धनराशि में से ही स्वीकृत की गई है।

8— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245— प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत –05 आपदा राहत निधि–आयोजनागत 800— अन्य व्यय –01— केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें –01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय— 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

9— यह ओदश वित्त विभाग के अ.शा.प.सं— 2802/वि.अनु.–3/2003 दिनांक 9.2.2004 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री।
3. श्री एल.एम.पन्त, अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. डॉ. राकेश गोयल, राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनु— 3, उत्तरांचल शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।